

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/168-99 दि 18/28

दिनांक चण्डीगढ़ 23-8-99

ओ पी <sup>रस</sup>इन्टर नेशनल स्कूल कुंजपुरा <sup>रस</sup>करनाल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सखी स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

- 1 विद्यालय को वर्ष 1999-2000 के लिये अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।
- 2 विद्यालय के प्रबन्धक आगामी वर्ष 2000-2001 में अस्थाई मान्यता प्राप्त करेंगे अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द रखा जायेगा।
- 3 हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1999 की धारा 4 की सभी शर्तों को पूरा करेगा तथा इसके तहत जो भी नियम बनेंगे विद्यालय उनकी पालना करेगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।
- 4 विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली विभाग की हिदायतों की पालना करेगा।

प्रशान्त महापात्रा

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठार्कन क्रमांक सम दिनांक 24.8.99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी करनाल को उनके पत्र क्रमांक 1/99/जी-1/9438 दिनांक 9-7-99 के संदर्भ में।
- 2 मुख्याध्यापक ओ पी <sup>रस</sup>इन्टर नेशनल स्कूल कुंजपुरा <sup>रस</sup>करनाल
- 3 सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेक्टर प्रीत नहर नई दिल्ली -110092

*Jscinyc*  
अधीक्षक विद्यालय-1  
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा  
चण्डीगढ़